

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -43/2008-09

सुनील घोष एवं अन्य बनाम उज्ज्वल घोष एवं अन्य।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-01/2008-09 में दिनांक-24.10.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील है।

अपीलकर्ता अनुपस्थित। अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता भी पुकार के समय अनुपस्थित पाया गया। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अधिकतम तिथियों में वाद में अनुपस्थित रहे। दिनांक-17.10.2023 को अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा कागजात जमा करने हेतु समय की माँग की गई। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement. Case No-107/1986-87 में दिनांक-10.08.2005/29.08.2005 को पारित आदेश की छायाप्रति में अंकित है कि “आवेदक अनुपस्थित। यह बंदोबस्ती का मामला है। तामिला प्राप्त है। आवेदक पुकार पर अनुपस्थित है। वाद कार्रवाई समाप्त की जाती है।” इससे स्पष्ट है प्रश्नगत जमीन पर सुनील कुमार घोष को बंदोबस्त प्राप्त नहीं हुआ था। अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा किये गये अपील आवेदन का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा उत्तरवादी को दिये गये बंदोबस्ती के प्रश्नगत स्थान पर अपना बंदोबस्ती होने संबंधी कोई कागजात भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि मौजा-मोहिदनगर, खाता सं0-15 के किस्म-पुरातन पतित, दाग सं0-15/A, 15/B के कुल रकवा-1.15 एकड़ संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 28 के तहत के अन्तर्गत बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। निम्न न्यायालय में नियमानुसार 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया है।

उभयपक्षों द्वारा अभिलेख में दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-01/2008-09 में दिनांक-24.10.2008 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-01/2008-09 में दिनांक-24.10.2008 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।